रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 435] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 27, 1986/कार्तिक 5, 1908
No. 435] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 27, 1986/KARTIKA 5, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(रसायन और पैट्रो रसायन विभाग)

विकास आयुक्त (औषधि) का कार्यालय

नई दिल्ली, 27 अक्तूबर, 1986

आदेश

का.आ. 770(अ) :—केन्द्रीय सरकार, औषधि (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1979 के पैरा 3 के उपपैरा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 3098 रु. को उस अधिकतम विक्रय कीमत के रूप में नियत करती है जिस पर आदेश की दूसरी अनुसूची में "6 एन्टीबायोटिक" शीर्ष के

नीचे क्रम संख्यांक 22 पर आने वाली स्वदेश में मध्यवर्ती प्रक्रम से पूर्व विनिर्मित रिफाम्पीसीन का विक्रय किया जायेगा ।

[सं. 8(49)/85-फो-II]

आर. एस. माथुर, संयुक्त सचिव और विकास आयुक्त (औषधि)

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Chemicals and Petro-Chemicals)

Office of the Development Commissioner (Drugs)

New Delhi, the 27th October, 1986

ORDER

S.O. 770(E) :—In exercise of the powers conferred by sub-paragraph (1) of paragraph 3 of the Drugs (Prices Control) Order 1979, the Central Government hereby fixes rupees 3098|- per Kilogram as the maximum sale price at which Rilampicin, occurring at serial number 22 under the heading "VI ANTIBIOTICS" in the Second Schedule of the said Order, manufactured indigenously ex-intermediate stage shall be sold.

[No. 8(49)|85-D.II]

R. S. MATHUR, Jt. Secy. & Development Commissioner (Drugs)

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986